

12.2.25

सीटर
पत्रावली आज वादनी के डा.पत्र पर लम्ब
की गयी। अतः प्रकरण में मुल दावा मोट-पेस
में खारिज किया जा चुका है इसलिये डा.पत्र
212 RTA का कोर्ट ऑचियम नहीं रखा है अतः
डा.पत्र 212 RTA को भी मोट-पेस में खारिज
किया जाता है पत्रावली के काम शुमार होकर
डाखिम स+तर हो।


उपकांड अधिकारी
समगढ़

सुनीता